

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)

आ दे श

अधिहरण (Confiscation) वाद सं०-13/2022-23

सरकार-बनाम-अफताब अनवर वगै०

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक -1229/अप०शा० दिनांक - 05.05.2022 के द्वारा वादिनी अरुणिमा एक्का पे०-स्व० अंजेलुस एक्का साकिन बेहराटोली थाना-महुआडांड जिला-लातेहार वर्तमान अंचल अधिकारी, सिसई के कम्प्यूटरीकृत आवेदन के आधार पर सिसई थाना कोड सं०-29/2020 दिनांक-11.03.2022 धारा 414/420 भा० द० वि० 4/54 के तहत अवैद्य रूप से किसानों को बहला फुसलाकर कम दर पर धान रद्दी चावल एवं FCI का बोरा लोड़ कर बेचने ले जाने के आरोप जप्त ट्रक नं० -CG 14 MF -6323 के मालिक अफताब अनवर पे०-मो० अलाउदीन सा० घाटमुन्डा जशपुर थाना+ जिला -जशपुर (छ०ग०)(2) ट्रक नं० -JH01CS- 3025 के मालिक हिमाशु सोरेंग पे०- चन्द्रेव महली सा०- अटुका टोली थाना-नगड़ी जिला-रांची के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 के धारा-6(A)(i) के अन्तर्गत जप्त वाहन एवं आवश्यक वस्तु के पकड़ाये गये तिथि से बाजार मूल्य के बराबर दण्डनीय राशि वसूल की जायेगी।

अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला को निदेशित किया जाता है कि सिसई थाना काण्ड सं०-29/2020 में जप्त वाहनों में पायी गयी धान, रद्दी चावल एवं FCI का बोरा के मात्रा के आधार पर दण्डनीय राशि वसूल करते हुए सरकारी कोष में उक्त राशि को जमा कर दी जाय।

चूँकि इस वाद से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय में लंबित है।

अतः वाद की कार्रवाई व्यवहार न्यायालय के अंतिम न्यायदेश की प्रत्याशा में समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक गुमला/ सहायक लोक अभियोजक गुमला/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

15.11.22
उपायुक्त,
गुमला

15.11.22
उपायुक्त,
गुमला